दिनांक- 12.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 182/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 12.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 12.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 183/26

महोबा पुलिस

सर्किल-कुलपहाड़, थाना-अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्रों की बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने एवं चेकिंग अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 ऋषी शुक्ला, उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्रा मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार, का0 राहुल अग्निहोत्री एवं रि0आ0 अंकित कुमार सरोज द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12.06.2026 को ग्राम पुरवा जैतपुर मोड़ से आगे, ग्राम खिरियाकला नहर पुलिया के पास एक अभियुक्त शिवा बरार पुत्र महेश, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 96/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला, थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्रा, थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना अजनर जनपद महोबा
4. का0 राहुल अग्निहोत्री, थाना अजनर जनपद महोबा
5. रि0आ0 अंकित कुमार सरोज, थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी

- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त

शिवा बरार पुत्र महेश, निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 12.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 184/26

महोबा पुलिस की उत्कृष्ट कार्यवाही पर पीआरवी कर्मियों को मिला सम्मान,

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा जनपद में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले यूपी-112 पीआरवी कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु आज दिनांक 12.05.2026 को पुलिस कार्यालय में नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

यह सम्मान पीआरवी टीम द्वारा दिनांक 10.06.2026 को खजुराहो-महोबा रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या का प्रयास कर रही एक महिला एवं उसके दो मासूम बच्चों को समय रहते सुरक्षित बचाने की सराहनीय एवं संवेदनशील कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदान किया गया।

उक्त घटना में पीआरवी-7334 टीम ने त्वरित रिस्पॉन्स देते हुए मौके पर पहुंचकर सूझबूझ एवं तत्परता का परिचय दिया तथा महिला व बच्चों को रेलवे पटरी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पीआरवी कर्मियों के इस सराहनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा गया कि इस प्रकार की तत्परता एवं संवेदनशीलता पुलिस की छवि को सुदृढ़ बनाती है तथा आमजन में विश्वास स्थापित करती है।

साथ ही उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों को भी इसी प्रकार कर्तव्यनिष्ठा, मानवता एवं सेवा भाव से कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

सम्मानित पीआरवी टीम:

1. मुख्य आरक्षी आशीष कुमार मिश्र (कमांडर)
2. मुख्य आरक्षी कारण कुमार (पायलट)
3. आरक्षी अजय प्रताप सिंह (सब कमांडर)

दिनांक- 12.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 185/26

महोबा पुलिस

“ऑपरेशन कन्विक्शन: मृत्युदण्ड वाले जघन्य हत्याकांड में उत्कृष्ट पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारियों को एसपी महोबा ने किया सम्मानित”

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अभियान *“OPERATION CONVICTION”* के अंतर्गत जनपद महोबा में पूर्व में एक जघन्य हत्याकांड में अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अभियोजन अधिकारियों को आज सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर, महोबा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2023 धारा 302 भा0द0वि0 से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त देवेन्द्र विश्वकर्मा को माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड (फांसी की सजा) एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी एवं सुदृढ़ अभियोजन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अधिकारी श्री सुरेन्द्र राजपूत को आज दिनांक 12.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस मामले में पैरोकार द्वारा अभियोजन पक्ष एवं विवेचक के साथ सतत समन्वय स्थापित करते हुए साक्ष्यों का सुदृढ़ प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोरतम दण्ड दिलाया जा सका।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी पैरवी ही अपराधियों को कठोर दण्ड दिलाने का आधार है तथा यह पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

“अपराधियों को सजा दिलाना ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।”